संख्या:07/2016/ 1916जे0/22-5-16-320एचआरसी/2013

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ : दिनांक- 20 अक्टूबर,2016*

विषय- जिला कारागार, लखनऊ के विचाराधीन बंदी इनायतउल्ला ऊर्फ इनायत रसूल पुत्र श्री नूर महोम्मद की दिनांक 10-11-2013 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा मृतक बंदी के आश्रितों को रू0 पचास हजार मात्र की अंतरिम राहत के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-35357/मा0अनु0(1)/306-2013, दिनांक 28-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार, लखनऊ के विचाराधीन बंदी इनायतउल्ला ऊर्फ इनायत रसूल पुत्र श्री नूर महोम्मद की दिनांक 10-11-2013 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली केस संख्या-40332/24/28/2014-जे0सी0डी0, दिनांक 19-07-2016 के अनुपालन में मृतक बंदी इनायतउल्ला ऊर्फ इनायत रसूल के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अन्तरिम राहत के रूप में रू0-50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2016-2017 में अधीन इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि मुआवजें के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-2017 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 19-07-2016 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बधित को कराते हुए उसकी पुष्टीकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च,2016 की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या: 07/2016/ 1916जे0(1)/22-5-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निवन्धक मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0 नई दिल्ली ।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-1/4

6- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-60-आईआरएन /छ:- मा0-1-16-2(15)/2016, दिनांक 29-08-2016।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।